सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
भाद्र 03, शुक्रवार, *शाके* 1945-अगस्त 25, 2023 *Bhadra 03, Friday , Saka 1945- August 25, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 11, 2022

संख्या प0 9(111)राज-1/2022 :-राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15) की धारा16, में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कलक्टर बाड़मेर एवं राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंषा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि जिला बाड़मेर की तहसील गडरारोड़ के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-7 में अंकित मजरों/ढ़ाणियों को एतद्पश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कॉलम संख्या-9 के अनुसार होगा:-

क्र सं	जिला / तहसील	ग्रामपंचायत / पंचायत समिति	मूल राजस्व ग्राम का विवरण			नवीन राजस्व ग्राम का विवरण			मूलग्रामसेदूरी	मूलराजस्वग्रामकाशेष क्षेत्रफल
			ग्राम कानाम	जनसंख्या 2011	भौगोलिक क्षेत्रफल (है0में)	ग्रामकानाम	जन संख्या2011	भौगोलिक क्षेत्रफल (है0में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बाड़मेर / गडरारोड़	गडरारोड़ / गडरारोड़	गडरारोड़	8290	1211	मूलराजनगर	2081	532	1.5	679

नवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग-अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत मूल राजस्व ग्रामों/नवीन राजस्व ग्रामों की पृथक-पृथक जमाबन्दी, खसरा नम्बर एवं नक्शे/अभिलेखों के परिशोधन कार्य के लिये जिला कलक्टर, बाड़मेर को अधिकृत किया जाकर कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से,

विश्व मोहन शर्मा,
संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।